बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30.06.26

प्र0–I–रा0(नि0)–01/2026–4072/एम0 बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 09/लो0से0आ0/गो0, दिनांक 22.01.2026 के द्वारा विज्ञापन संख्या–36/2025 के अन्तर्गत अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों की विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2127 दिनांक 24.03.2026 से बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के मूल कोटि के खनिज विकास पदाधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान पे–मैट्रिक्स लेवल–9 (राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) में पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्ति किया गया है। निम्न सारणी की क्रम संख्या–1 से 5 तक में अंकित नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ–4 में अंकित जिला खनन कार्यालय में खनिज विकास पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:–

क्र0 सं0	नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	श्री अंकित कुमार	गयाजी	जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद
2.	श्री मनीष कुमार	नालंदा	जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर श्री कुमार जिला खनन कार्यालय, शिवहर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
3.	श्री कुमार रबी शंकर	खगड़िया	जिला खनन कार्यालय, भागलपुर
4.	सुश्री अंजलि आत्रेई	पटना	खान एवं भूतत्व विभाग, पटना
5.	श्री समीर सावर्ण	समस्तीपुर	जिला खनन कार्यालय, पटना

2– सभी नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी मूल नियुक्ति पत्र एवं पूर्व की सेवा से विरमन पत्र के साथ बिपार्ड में प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत अगले कार्य दिवस को अपने पदस्थापन जिला में प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि को प्रभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करने का एकाधिकार विभाग को होगा।

3– विभाग में योगदान करने की तिथि से परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होगी।

4– सभी नव नियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी के वेतनादि का भुगतान विभाग में योगदान करने की तिथि से पदस्थापित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

5– सभी नव नियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृति लेखा संख्या (PRAN NUMBER) खोला जाना आवश्यक है।

6– सभी नव नियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी को प्रभार ग्रहण करने के उपरांत बिपार्ड, पटना में प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। साथ हीं परिवीक्षा अवधि में निर्धारित सभी प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।

7– प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/6/26

(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –प्र0–I–रा0(नि0)–01 / 2026........4072.....एम, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –प्र0–I–रा0(नि0)–01 / 2026........4072.....एम, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –प्र0–I–रा0(नि0)–01 / 2026........4072.....एम, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपिः–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –प्र0–I–रा0(नि0)–01 / 2026........4072.....एम, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक / सभी सहायक निदेशक / सभी खनिज विकास पदाधिकारी / सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –प्र0–I–रा0(नि0)–01 / 2026........4072.....एम, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपिः–सभी नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –प्र0–I–रा0(नि0)–01 / 2026........4072.....एम, पटना, दिनांक 30/06/26
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव